राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 455, 456 एवं 457/2018.....जिला.....अजमेर.....

मैसर्स मरीना ईलेक्ट्रीक एण्ड जनरल स्टोर, अजमेर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, अजमेर 2. सहायक आयुक्त एई, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

16/05/2018

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री श्याम पारीक एवं वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 व 61 के तहत् कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 22.01.2018 द्वारा कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से कॉलम 4 के अंतर्गत शास्ति की राशि की वसूली पर तो रोक लगा दी परन्तु कॉलम 5 के अनुसार बकाया राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 38(4) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 09.04.2018 से व्यथित होकर धारा 83 के तहत अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कर एवं ब्याज की बकाया मांग राशि (तालिका के कॉलम 5 के अनुसार) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की है। तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, जिसकी प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
455/18	11–12	1,21,12,342	69,23,280	51,89,562
456/18	12–13	1,78,90,653	1,03,64,922	70,25,731
457/18	13–14	1,69,16,033	1,03,15,258	66,00,775

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा पूर्व में प्रस्तुत घोषण पत्रों के आधार पर मूल कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों को स्वीकार करते हुए, कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। जबकि विवादित आदेश दिनांक 22.01.2018 के द्वारा मांग राशि सृजित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्रस्तुत घोषणा पत्रों की विभाग द्वारा करायी गयी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गयी एवं किसी प्रकार का भी प्रतिपरीक्षण का अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उन्होंने तीनों प्रकरणों में सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए, बकाया मांग राशियों (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 5 के अनुसार) पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।

16/05/18

निरन्तर.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 455, 456 एवं 457/2018.....जिला.....अजमेर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज – 2 –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/05/2018	विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से प्रकट होता है कि दिल्ली एवं चैन्नई स्थित वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से तथाकथित क्रेता व्यवहारियों एवं उनके द्वारा जारी "सी" फॉर्म की जांच करवाने पर प्रश्नगत घोषणा पत्र विभाग से जारी नहीं होना/विभागीय वैबसाइट से जनरेट नहीं होना पाया गया है। चैन्नई स्थित तथाकथित क्रेता फर्मों द्वारा ऐसी कोई खरीद किया जाना भी नहीं पाया गया है। प्रथम दृष्टया अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये घोषणा पत्र "सी" कूटरचित एवं जाली (forged and fictitious) प्रतीत होते हैं, अतः सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने से प्रस्तुत मांग वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। तथापि अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी की उनके समक्ष लम्बित अपीलों का निस्तारण, इस आदेश में किये गये विवेचन से प्रभावित हुए बिना, गुणावगुण पर तीन माह के भीतर करना सुनिश्चित करे। तीनों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 16/05/18 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	